हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 17

वीरवार, 29 मार्च, 2018/8 चैत्र, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्याः 329 से 332 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 333 से 372 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 54 से 58 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **<u>कागज़ात सभा पटल परः</u>**

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, सहायक रसायन, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए-ए.(3)-2/2016 दिनांक 19.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.06.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए-ए.(3)-3/2016 दिनांक 19.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.06.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता(यान्त्रिक), वर्ग-I(राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए(3)-17/94-I दिनांक 01.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.04.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.-ए.3(1)-2/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.(ए)3(1)-4/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, पम्प परिचालक, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःआई.पी.एच.(ए)3(1)-4/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनिशियन(फिटर), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः आई.पी.एच.(ए)2(बी)15-7/2016 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित; और

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनिशियन (पम्प आपरेटर), वर्ग-III(अराजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचन संख्याः आई.पी.एच.-ए-सी.-5(9)2/95-II दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित।

3. <u>**सदन की समिति के प्रतिवेदन :**</u>

श्री इन्द्र सिंह, सभापति,अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2017-18) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **प्रथम प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि बारहवीं विधान सभा के चौदहवें एवं सोलहवें सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **द्वितीय प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि बारहवीं विधान सभा के चौदहवें एवं सोलहवें सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है ।

4. <u>**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान**</u>**:-**

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा</u>

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विपक्ष व पक्ष की सहमति के अनुरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1973 के नियम 196(7) के अन्तर्गत आज सांय 2.30 बजे "गिलोटिन" लगा दिया जाएगा।

मांग संख्याः 8-शिक्षा

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 8-शिक्षा के अन्तर्गत

राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 61,24,08,90,000/- और 1,05,72,15,000/-रूपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 8 पर सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, अनिरूद्ध सिंह, सर्वश्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, राम लाल ठाकुर,सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, नन्द लाल, , लखविन्द्र सिंह राणा, विक्रमादित्य सिंह, आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से प्राप्त 8 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा कीः-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री
2. श्री अनिरूद्ध सिंह
3. श्री हर्षवर्धन चौहान
4. श्री राकेश सिंघा
5. श्री जगत सिंह नेगी

   श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मंत्री व श्री वीरभद्र सिंह, माननीय सदस्य द्वारा हस्तक्षेप।

6. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु

(सदन की बैठक अपराह्न 1.00 बजे दोपहर के भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक भोजनावकाश के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)।

मांग संख्याः 8 पर चर्चा जारी

7. श्री नन्द लाल

माननीय शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

(विपक्ष द्वारा 2:34 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया गया।)

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

अपराह्न 2.35 बजे गिलोटिन लगाया गया।

मांग संख्या: 1,2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26,27,28,29, 30,31 और 32 पूर्ण रूप से पारित हुई।

5. **<u>विधायी कार्य :</u>**

(I) **<u>सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना</u>**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

माननीय मुख्य मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित किया।

(II) **<u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारणः</u>**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 2) पारित हुआ।

सदन की बैठक अपराह्न 2.43 बजे सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई।